तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तामिली से गुरेज कर रहे है, जिससे अपील मे अनावश्यक ही विलम्ब हो रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त नोटिस की तामिली समाचार पत्र के माध्यम से करवाया जाना आवश्यक हो गया। अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार कर समन की तामिल समाचार पत्र के माध्यम से करवाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें। हमने प्रा. पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में समस्त कानूनी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार फरमाया जाकर समस्त रेस्पोडेन्ट के सम्मन स्थानीय संस्करण मे लोकप्रिय अखबार में प्रकाशित करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अधिवक्ता अपीलान्ट उक्त आदेश की पालना में नियमानुसार प्रपत्र में रेस्पोडेन्टस के सम्मन भरकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 25/2/26 को पेश हो। [signature]	अखबार सम्मन 5 प्र. 25/2/26
25/2/26	अधिवक्ता अपीलान्ट उप.। अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्वादेश की पालना करे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/3/26 को पेश हो। [signature]	
25/3/26	अधिवक्ता अपीलांट उप.। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेशिका दिनांक 3/2/2026 द्वारा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. किया जाकर रेस्पो. की तामिली हेतु सम्मन अखबार में प्रकाशन करवाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु अधिवक्ता अपीलांट द्वारा जानबूझकर आज दिनांक तक उक्त आदेश की पालना में	[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेस्पो. के सम्मन अखबार में प्रकाशित नही करवाये। अतः अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना करने के कारण उक्त अपील को अदम तकमील मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।	